सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/15 **निर्णय दिनांकः— 7.03.2018**

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति मजबीसिख निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—09—1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18—09—1995 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी

पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट द्वारा तहसील पूगल के चक 10 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 113/5, 113/6, 113/13 के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सबूत पेश नहीं करने से अपूर्ण रहने के

कारण व वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मनमाने तरीके से बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया जाता तो अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वांछित सबूत प्रस्तुत करता, जबकि अदालत मातहत ने अपीलांट को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर आवेदन पत्र के साथ सबूत नहीं पेश करने से आवेदन पत्र अपूर्ण रहने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–09–1995 के विरूद्व अपील दिनांक 07–047–15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित सबूत पेश नहीं करने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र अपूर्ण मानते हुए खारिज किया गा है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–09–1995 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07–07–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष तहसील पूगल के चक 10 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 113/5, 113/6, 113/13 के विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ मात्र सिलिंग सीमा से भूमि कम होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जबकि आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील की भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची की प्रमाणित प्रति, सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलांट को अपने प्रार्थना पत्र के साथ उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपरिहार्य था।

(3) अदालत मातहत अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 18–09–1995 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र की नियमानुसार जॉच की गई। आवंठन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र के साथ सबूत नहीं पेश करने से अपूर्ण रहने के कारण खारिज किया गया है तथा उक्त आदेश की सूख्ना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।

आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित समस्त सबूत प्रस्तुत किये जाने अपरिहार्य है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ समस्त वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में अपीलांट का आवंटन आदेश खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन का आदेश दिनांक 18–09–1995 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर